न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/469

आर0 के0 अग्रवाल, इण्डियन मिशन ऑफ मेडिकल साईन्सेज सोसायटी पता– 11 –ए, तलवण्डी, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कन्या बाई पत्नी स्व0 कान्हा जी
2. घनश्याम आत्मज कान्हा जी ।
3. रमेश आत्मज स्व0 कान्हा ।
4. लटूरी पत्नी स्व0 कान्हा ।
5. मंजू पुत्री कान्हा
6. ललता पुत्री स्व0 कान्हा जातियान भील निवासीगण खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव महोदय ।
8. राजस्थान सरक़ार जरिये अधिकृत प्रतिनिधि जिला कलक्टर, कोटा ।
9. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मो0 शफीक, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 की ओर से ।
3. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 14.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 92 ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा की आराजी खसरा नम्बर 81 की रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 15.05.1981 को कान्हा आत्मज श्री कंवर लाल जी भील निवासी उम्मेदपुरा को विधिवत रूप से आवंटित की गई । आवंटन के पश्चात् उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी को दखल दिया गया । कान्हा

जी अपने जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण इस आराजी पर बतौर मालिक स्वामी रखते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं । भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 213 की रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 1.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 1.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.15 हैक्टर आंशिक खसरा नम्बर 238 रकबा 1.78 हैक्टर कायम किये हैं । सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण उक्त आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से वाद को डिक्री किया जावे कि वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.07 हैक्अर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.26 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर पश्चिमी उत्तरी दिशा वाली कुल रकबा 0.80 हैक्टर को वादीगण के गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 06.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि नगर विकास न्यास, कोटा ने अपीलान्ट को दिनांक 04.10.2013 को आवंटन पत्र के आधार पर राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 03 (131) दिनांक 12.09.2013 की स्वीकृति के कम में ग्राम उम्मेदपुरा की आराजी खसरा नम्बरान की 7.19 हैक्टर का आवंटन पत्र अपीलान्ट के पक्ष में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी किया गया था । उक्त खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 215 जो पूर्व में सिवायचक दर्ज खाता था उसके पश्चात् नगर विाकस न्यास, कोटा की खातेदार में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया । उक्त भूमि खसरा नम्बर 215 को नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अपीलान्ट को जनहितार्थ व जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत उक्त भूमि को हॉस्पीटल व मेडिकल कॉलेज हेतु स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें गरीब परिवार/बीपीएल परिवार व सामन्य श्रेणी के व्यक्तियों को निशुल्क व न्यूनतम दर पर सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृत किया गया था । रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने उक्त भूमि को वर्ष 2014 में गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में वाद पेश कर दावा डिक्री करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम नकल जमाबन्दी निकलवाने के पश्चात् दिनांक 01.08.2018 को हुई जिस उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 215 वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि पर हक व अधिकार तथा हित–निहित है तथा उक्त अपील में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं को व्यथित पक्षकार होना एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपने हित प्रभावित होने का कथन किया है । अपीलान्ट के वादग्रस्त आराजी में कितने स्वत्व अधिकार हैं यह तो अपील के निस्तारण के समय ही तय होंगे । अभी प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हम अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा में लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल की गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के गैर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । आराजी गैर खातेदारी में दर्ज होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी बाबत् एक इकरारनामा रामस्वरूप, आत्मज रामचन्द्र जी को विक्रय करने बाबत् दिनांक 01.03.2016 को किया था । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर गैर खातेदारी दी है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किये हैं वह न तो प्रमाणित थे और न ही साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज थे । नगर विकास न्यास कोटा ने अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया है जिसके अनुसार ग्राम उम्मेदपुरा की खसरा नम्बरान का क्षेत्रफल 7.19 हैक्टर आराजी आवंटित की गई है । खसरा नम्बर 215 जो पूर्व में सिवायचक दर्ज खाता था, नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज किया गया और नगर विकास न्यास ने अपीलान्ट को जनिहितार्थ व जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत आवंटित की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने नगर विकास न्यास के जवाब पर भी गौर नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक दर्ज करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

13. रेस्पोडेन्ट कम 07 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि – विरूद्ध है । गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्टगण को गैर खातेदारी दी गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त फरमाया जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण वादी ने एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का रेस्पोडेन्ट क्रम 7, 8 एवं 9 के खिलाफ पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि ग्राम उम्मेदपुरा की आराजी खसरा नम्बर 81 की रकबा 05 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 15.05.1981 को कान्हा आत्मज श्री कंवर लाल जी भील निवासी उम्मेदपुरा को विधिवत रूप से आवंटित की गई । आवंटन के पश्चात् उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी को दखल दिया गया ।। भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 213 की रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 1.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 1.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.15 हैक्टर आंशिक खसरा नम्बर 238 रकबा 1.78 हैक्टर कायम किये हैं । कान्हा जी अपने जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण इस आराजी पर बतौर मालिक स्वामी रखते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं । सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण उक्त आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया और 2013 में नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज किया गया । अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से वाद को डिक्री किया जावे कि वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.26 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर पश्चिमी उत्तरी दिशा वाली कुल रकबा 0.80 हैक्टर को वादीगण के गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

16. अधीनस्थ न्यायाल ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 06.02.2017 से दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिसको मुताबिक प्रदर्श डी–1 नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज किया गया है । वादी ने आवंटन आदेश के आधार पर इसमें हक, घोषणा की सहायता मांगी है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से पेश गवाह कान्याबाई एवं घनश्याम दोनों को पी.डब्ल्यू. –1 अंकित किया गया है । वादीगण की ओर से पेश किये दस्तावेजात पर प्रदर्श नम्बर भी अंकित नहीं किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में तनकीयात तो कायम की हैं परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है ।

17. वादीगण द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 81 की 05 बीघा आराजी का उन्हें आवंटन हुआ था मौके पर उन्हें कब्जा भी दे दिया गया था परन्तु वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज की गई है जबकि उनके गैर खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी । इस क्रम में हमारा यह मत है कि आवंटित आराजी में गैर खातेदारी एवं खातेदार अधिकार प्रदान करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी को है न ही सहायक कलक्टर को । आवंटन के उपरान्त गैर

खातेदारी अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आंवटी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी समस्त तथ्यों की जॉच के उपरान्त आवंटन सही होने पर तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना होने पर ही गैर खातेदारी अथवा खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । सहायक कलक्टर के समक्ष हक, घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात को प्रदर्श कराए बिना दावा वादी डिक्री करने में त्रुटि की है । वादी ने आवंटन आदेश की फोटो प्रति नोटेरी से प्रमाणित करवाई है । आवंटन अधिकारी के कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पेश नहीं की है ।

18. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुए दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह कृत्य सीपीसी, रजास्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है जो उचित नहीं है । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

19. वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज थी जो नामान्तरकरण संख्या 280 से नगर विकास न्यास को आवंटित की जा चुकी है । इसके बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 निरस्त किया जाता है ।

21. निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/469

आर0 के0 अग्रवाल, इण्डियन मिशन ऑफ मेडिकल साईन्सेज सोसायटी पता– 11 –ए, तलवण्डी, कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. कन्या बाई पत्नी स्व0 कान्हा जी
2. घनश्याम आत्मज कान्हा जी ।
3. रमेश आत्मज स्व0 कान्हा ।
4. लटूरी पत्नी स्व0 कान्हा ।
5. मंजू पुत्री कान्हा
6. ललता पुत्री स्व0 कान्हा जातियान भील निवासीगण खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव महोदय ।
8. राजस्थान सरकार जरिये अधिकृत प्रतिनिधि जिला कलक्टर, कोटा ।
9. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 290/दावा/2014

1. कन्या बाई पत्नी स्व0 कान्हा जी
2. घनश्याम आत्मज कान्हा जी ।
3. रमेश आत्मज स्व0 कान्हा ।
4. लटूरी पत्नी स्व0 कान्हा ।
5. मंजू पुत्री कान्हा

6. ललता पुत्री स्व0 कान्हा जातियान भील निवासीगण खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव महोदय ।
2. राजस्थान सरकार जरिये अधिकृत प्रतिनिधि जिला कलक्टर, कोटा ।
3. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.09.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मो0 शफीक एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा एवं रेस्पोडेन्ट कम 7 की ओर से अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2017 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14.9

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा